प्रथम माला, खंड 35, अंक 1

सोमवार, 22 फरवरी, 1988
3 फाल्गुन, 1909 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दसवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 35 — बसवां सत्र, 1988/1909-10 (शक)

अंक 1 — सोमवार, 22 फरवरी, 1988/3 फाल्गुन, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
राष्ट्रपति का अभिभाषण— सभा पटल पर रखा गया	1-14
निधन संबंधी उल्लेख और खान अब्दुल गफ्फार खां के निधन पर उल्लेख	14-21

आठवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अंजैया, श्रीमती मनेम्मा (सिकन्दराबाद)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान (मधुबनी)
अख्तर हसन, श्री (कैराना)
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (चांदनी चौक)
अठवाल, श्री चरनजीत सिंह (रोपड़)
अडईकलराज, श्री एल० (तिरुचिरापल्ली)
अताउर्रहमान, श्री (बारापेट)
अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी (तिरुचेन्दूर)
अण्णानम्बी, श्री आर० (पोल्लाची)
अप्पालानरसिंहम, श्री पी० (अनकापल्ली)
अब्दुल गफूर, श्री (सीवन)
अब्दुल हमीद, श्री (धुबरी)
अब्दुल्ला, बेगम अकबर जहां (अनन्तनाग)
अब्बासी, श्री के०जे० (डुमरियागंज)
अर्जुन सिंह, श्री (दक्षिण दिल्ली)
अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण (बंगलौर दक्षिण)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)
अलखा राम, श्री (सलुम्बर)
अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)
अहमद, श्रीमती आबिदा (बरेली)
अहमद, श्री सरफराज (गिरिडीह)
अहमद, श्री सैफुद्दीन (मंगलदाई)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आजाद, श्री गुलाम नबी (वाशिम)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (वडागरा)
उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारडागा)

ए

एंथनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एन्टनी, श्री पी० ए० (त्रिचूर)

ऐ

ऐंगती, श्री बीरेन सिंह (स्वायत्तशासी जिला)

ओ

ओडेदरा, श्री भरत कुमार (पोरबन्दर)
ओडेयार, श्री चनैया (दावनगेर)
ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

ककाड़े, श्री सांभाजीराव (बारामती)
कमल नाथ, श्री (छिंदवाड़ा)
कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)
कलानिधि, डा० ए० (मद्रास मध्य)
कल्पना देवी, डा० टी० (वारंगल)
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम (उस्मानाबाद)

कण्णन, श्री पी० (तिरुचेंगोडे)
काबुली, श्री अब्दुल रशीद (श्रीनगर)
कामत, श्री गुरुदास (बम्बई उत्तर पूर्व)
कामसन, प्रो० मिजिनलंग (बाह्य, मणिपुर)
किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द (दमका)
कुंवर राम, श्री (नवादा)
कुचन, श्री गंगाधर एच० (शोलापुर)
कुजूर, श्री मौरिस (सुन्दरगढ़)
कुन्जम्बू, श्री के० (मदुरै)
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बटूर)
कुमारमंगलम, श्री पी० आर० (सलेम)
कुरियन, प्रो० पी० जे० (इडुक्की)
कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)
कुरेशी, अजीत (सतना)
कुलनदईवेलु, श्री पी० (गोबिचेट्टिपालयम)
केन, श्री लाला राम (बयाना)
केयूर भूषण, श्री (रायपुर)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कौशल, श्री जगन्नाथ (चण्डीगढ़)
कृष्ण कुमार, श्री एस० (त्रिवलोन)
कृष्ण सिंह, श्री (जिन्द)
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई (बीड़)

ख

खत्री, श्री निर्मल (फैजाबाद)
खां, श्री असलम शेर (बेतूल)
खां, श्री आरिफ मोहम्मद (बहराइच)
खां, श्री खुर्शीद आलम (फर्रुखाबाद)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री मोहम्मद महफूज अली (एटा)
खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ (सीतामढ़ी)

ग

गंगा राम, श्री (फिरोजाबाद)
गढ़वी, श्री बी० के० (बनासकांठा)
गहलौत, श्री अशोक (जोधपुर)
गांधी, श्री राजीव (अमेठी)
गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)
गामित, श्री सी० डी० (मांडवी)
गिल, श्री मेवा सिंह (लुधियाना)
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव (कोल्हापुर)
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह (बड़ौदा)
गावली, श्री सीताराम जे० (दादरा और नगर हवेली)
गावित, श्री मानिकराव होडल्या (नन्दरबार)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसीरहाट)
गुप्त, श्री जनक राज (जम्मू)
गुप्त, श्रीमती प्रभावती (मोतीहारी)
गुरड्डी, श्री एस० एम० (बीजापुर)
गुहा, डा० फूलरेणु (कन्टई)
गोपेश्वर, श्री (जमशेदपुर)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोस्वामी, श्री दिनेश (गुवाहाटी)
गोहिल, श्री जी० बी० (भावनगर)
गोंडर, श्री ए० एस० (पलानी)
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे (हसन)
गौडा, श्री के० वी० शंकर (मांड्या)

घ

घोलप, श्री एस० जी० (थाने)
घोष, श्री तरुण कान्ति (बारासट)
घोष, श्री विमल कान्ति (सीरमपुर)

घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा (नवद्वीप)
घोषाल, श्री देवी (बैरकपुर)

च

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र (कानपुर)
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (श्री पेरम्बुदूर)
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल (दुर्ग)
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती (कांगड़ा)
चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव (नान्देड़)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)
चालिहा, श्री पराग (जोरहाट)
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई० के० (आनन्द)
चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डा० (तिरुपति)
चौधरी, श्रीमती ऊषा (अमरावती)
चौधरी, श्री कमल (होशियारपुर)
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान (माल्दा)
चौधरी, श्री जगन्नाथ (बलिया)
चौधरी, श्री नन्दलाल (सागर)
चौधरी, श्री मनफूल सिंह (बीकानेर)
चौधरी, श्री समर गुहा (कोकराझर)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौबे, श्री नारायण (भिदनापुर)

ज

जगतरक्षकन, डा० एस० (चेंगलपट्ट)
जगन्नाथ प्रसाद, श्री (मोहनलालजगं)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री कादम्बुर (तिरुनेलवेली)
जयमोहन, श्री ए० (तिरुपतूर)
जांगड़े, श्री खेलन राम (बिलासपुर)
जाखड़, डा० बलराम (सीकर)
जाटव, श्री कम्मोदीलाल (मुरैना)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जितेन्द्र सिंह, श्री (महाराजगंज)
जीवरत्नम, श्री आर० (अराकोनम)
जुझार सिंह, श्री (झालावाड़)
जेना, श्री चिन्तामणि (बालासोर)
जैन, श्री डाल चन्द (दमोह)
जैन, श्री निहाल सिंह (आगरा)
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र (बाड़मेर)
जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)

झ

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी० (चित्तूर)
झिकराम, श्री एम० एल० (मांडला)

ट

टन्डेल, श्री गोपाल के० (दमन तथा दीव)
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठ

ठक्कर, श्रीमती ऊषा (कच्छ)
ठाकुर, श्री सी० पी० (पटना)

ड

डामर, श्री सोमजी भाई (दोहद)
डिगाल, श्री राधाकांत (फूलबनी)
डेनिस, श्री एन० (नागर कोइल)
डोगरा, श्री गिरधारी लाल (ऊधमपुर)
डोण गांवकर, श्री साहब राव पाटिल (औरंगाबाद)

डोरा, श्री एच० ए० (श्रीकाकुलम)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (फिरोजपुर)

त

तंगराजु, श्री एस० (पेरम्बलूर)

तपेश्वर सिंह, श्री (विक्रमगंज)

तम्बि दुराई, श्री एम० (धर्मपुरी)

तांती, श्री भद्रेश्वर (कलियाबोर)

तारादेवी, कुमारी, डी० के० (चिकमगलूर)

तारिक अनवर, श्री (कटिहार)

तिग्गा, श्री साइमन (खूंटी)

तिरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)

तिलकधारी सिंह, श्री (कोडरमा)

तिवारी, प्रो० के० के० (बक्सर)

तुर, सरदार त्रिलोचन सिंह (तरनतारन)

तुलसीराम, श्री वी० (नगरकुरनूल)

तोमर, श्रीमती ऊषा रानी (अलीगढ़)

त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह (मुजफ्फरनगर)

त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर (खलीलाबाद)

त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा (चन्दौली)

थ

थामस, प्रो० के० वी० (एरनाकुलम)

थामस, श्री तम्पन (मवेलिकरा)

थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)

थोटा, श्री गोपाल कृष्ण (काकीनाडा)

थोरट, श्री भाऊसाहिब (पंढरपुर)

द

दण्डवते, प्रो० मधु (राजापुर)

दत्त, श्री अमल (डायमन्ड हार्बर)

दर्दी, श्री तेजा सिंह (भटिंडा)

दलवाई, श्री हुसैन (रत्नगिरि)

दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)

दाभी, श्री अजीत सिंह (केरा)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दास, श्री विपिन पाल (तेजपुर)

दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन (हावड़ा)

दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)

दास, श्री सुदर्शन (करीमगंज)

दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)

दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)

दिघे, श्री शरद (बम्बई उत्तर-मध्य)

दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)

दीक्षित, श्रीमती शीला (कन्नौज)

दुबे, श्री भीष्म देव (बांदा)

देव, श्री वी० किशोर चंद्र एस० (पार्वतीपुरम)

देव, श्री संतोष मोहन (सिलचर)

देव, श्री शरत (केंद्रपाड़ा)

देवरा, श्री मुरली (बम्बई दक्षिण)

देवराजन, श्री वी० (रसिपुरम)

देवी, प्रो० चंद्र भानु (बलिया)

ध

धारीवाल, श्री शांति (कोटा)

न

नटराजन, श्री के० आर० (डिण्डिगुल)

नटवर सिंह, श्री के० (भरतपुर)

नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती (करोलबाग)

नामग्याल, श्री पी० (लद्दाख)

नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)

नायक, श्री शांताराम (पणजी)

नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)

नारायणन, श्री के० आर० (ओट्टापलम)

नीलेरा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)

नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह (गढ़वाल)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
नेहरू, श्री अरुण कुमार (रायबरेली)

प

पांजा, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र (नई दिल्ली)
पकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम० (मयूरम)
पटनायक, श्री जगन्नाथ (कालाहण्डी)
पटनायक, श्रीमती जयन्ती (कटक)
पटेल, श्री अहमद एम० (भड़ोच)
पटेल, श्री उत्तमभाई ह० (बलसार)
पटेल, डा० ए० के० (मेहसाना)
पटेल, श्री एच० एम० (साबरकठा)
पटेल, श्री जी० आई० (गांधीनगर)
पटेल, श्री मोहन भाई (जूनागढ़)
पटेल, श्री राम पूजन (फूलपुर)
पटेल, श्री सी० डी० (सूरत)
पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी (तिंडीवनम)
पनिका, श्री राम प्यारे (राबर्ट्सगंज)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पलाकोंड्रायुडू, श्री एस० (राजमपेट)
पवार, श्री बालासाहिब (जालना)
पवार, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
पांडेय, श्री काली प्रसाद (गोपालगंज)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री मदन (गोरखपुर)
पांडे, श्री मनोज (बेतिया)
पांडे, श्री राज मंगल (देवरिया)
पाइलट, श्री राजेश (दौसा)
पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री एच० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री डी० बी० (कोलाबा)
पाटिल, श्री प्रकाश बी० (सांगली)
पाटिल, श्री बालासाहेब विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख (अहमदनगर)
पाटिल, श्री विजय एन० (इरन्दोल)
पाटिल, श्री वीरेन्द्र (गुलबर्गा)
पाटिल, श्री शिवराज बी० (लातूर)
पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)
पाठक, श्री चन्द्र किशोर (सहरसा)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)
पारधी, श्री केशवराव (भण्डारा)
पासवान, श्री राम भगत (रोसड़ा)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुरुषोत्तम, श्री वक्कम (अलप्पी)
पुरोहित, श्री बनवारी लाल (नागपुर)
पुष्पा देवी, कुमारी (रायगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (हाथरस)
पेंचालैया, श्री पी० (नेल्लोर)
पेरुमान, डा० पी० वल्लल (चिदम्बरम)
पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रकाश चन्द्र, श्री (बाढ़)
प्रधान, श्री के० एन० (भोपाल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रभु, श्री आर० (नीलगिरी)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर (उदीपी)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बघेल, श्री प्रताप सिंह (धार)

बनर्जी, कुमारी ममता (जादवपुर)
बनातवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)
बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)
बलरामन, श्री एल० (बन्डावासी)
बशीर, श्री टी० (चिरायिकिल)
बसवराजु, श्री जी० एस० (टुमकुर)
बसवराजेश्वरी, श्रीमती (बेल्लारी)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बागुन सुम्बरूई, श्री (सिंहभूम)
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बाल गौड, श्री टी० (निजामाबाद)
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला (मद्रास दक्षिण)
विश्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बीरेन्द्र सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)
बीरेन्द्र सिंह, श्री (हिसार)
बुद्धानिया, श्री नरेन्द्र (चुरु)
बुन्देला, श्री सुजान सिंह (झांसी)
बूटा सिंह, सरदार (जालौर)
बेरवा, श्री बनवारी लाल (टोंक)
बैठा, श्री डूमर लाल (अररिया)
बैरागी, श्री बालकवि (मंदसौर)
बैरो, श्री ए०ई०टी० (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ब्रह्मदत्त, श्री (टिहरी गढ़वाल)

भ

भण्डारी, श्रीमती डी०के० (सिक्किम)
भक्त, श्री मनोरंजन (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्वी दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (आरा)
भट्टाचार्य, श्रीमती इन्दुमती (हुगली)
भरत सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भूपति, श्री जी० (पेद्दापल्ली)
भूमिज, श्री हरेन (डिब्रूगढ़)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोई, डा० कृपा सिंधु (सम्बलपुर)
भोये, श्री आर० एम० (धुले)
भोये, श्री एस०एस० (मालेगांव)
भोसले, श्री प्रतापराव बी० (सतारा)

म

मनोरमा सिंह, श्रीमती (बांका)
मण्डल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मकवाना, श्री नरसिंह (धंधुका)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र (दुर्गापुर)
मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)
मसुदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)
महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)
महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)
महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महाता, श्री चित्त (पुरुलिया)
महालिंगम, श्री एम० (नागापट्टिनम)
महेन्द्र सिंह, श्री (गुना)
माधुरी सिंह, श्रीमती (पूर्णिया)
मानवेन्द्र सिंह, श्री (मथुरा)
माने, श्री आर०एस० (इचलकरांजी)
माने, श्री मुरलीधर (नासिक)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालवीय, श्री बापूलाल (झाजापुर)

माविण, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई (राजकोट)
मिर्धा, श्री राम निवास (नागौर)
मिश्र, श्री उमाकान्त (मिर्जापुर)
मिश्र, श्री जी० एस० (सिवनी)
मिश्र, श्री नित्यानन्द (बोलनगिरि)
मिश्र, श्री राम नगीना (सलेमपुर)
मिश्र, श्री विजय कुमार (दरभंगा)
मिश्र, श्री श्रीपति (मछली शहर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मिश्र, डा० प्रभात कुमार (जंजगीर)
मीणा, श्री रामकुमार (सवाई माधोपुर)
मीरा कुमार, श्रीमती (बिजनौर)
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ (मुवत्तुपुजा)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल (आसनसोल)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुरमू, श्री सिद्ध लाल (मयूरभंज)
मुरुगई, श्री ए० आर० (करूर)
मुशरान, श्री अजय (जबलपुर)
मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री भट्टम श्रीराम (विशाखापत्तनम)
मेहता, श्री हरुभाई (अहमदाबाद)
मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)
मोदी, श्री विष्णु (अजमेर)
मोरे, प्रो० रामकृष्ण (खेड)
मोहनदास, श्री के० (मुकुन्दपुरम)

य

यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
याजदानी, डा० गुलाम (रायगंज)
यादव, श्री आर० एन० (परभणी)
यादव, श्री कैलाश (जलेसर)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)
यादव, श्री महावीर प्रसाद (माधीपुरा)
यादव, श्री राम सिंह (अलवर)
यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)
यादव, श्री श्याम लाल (वाराणसी)
यादव, श्री सुभाष (खरगोन)
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद (चतरा)

र

रंगनाथ, श्री के० एच० (चित्रदुर्ग)
रंगा, प्रो० एन०जी० (गुंटूर)
रघुराज सिंह, चौधरी (इटावा)
रत्नम, श्री एन० वेंकट (तेनाली)
रणवीर सिंह, श्री (केसरगंज)
रथ, श्री सोमनाथ (आस्का)
रमैया श्री बी० बी० (ऐलूरू)
रमैया, श्री सोडे (भद्राचलम)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज करन सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राजहंस, डा० गौरी शंकर (झंझारपुर)
राजू, श्री आनन्द गजपति (बोबिली)
राजू, श्री विजय कुमार (नरसापुर)
राजेश्वरन, डा० वी० (रामनाथपुरम)
राठवा, श्री अमर सिंह (छोटा उदयपुर)
राठौड़, श्री उत्तम (हिंगोली)
राम, श्री राम रतन (हाजीपुर)
राम, श्री रामस्वरूप (गया)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानोर)
राम समुझावन, श्री (सैदपुर)

राम धन, श्री (लालगंज)
रामपाल सिंह, श्री (अमरोहा)
राम प्रकाश, चौधरी (अम्बाला)
राम बहादुर सिंह, श्री (छपरा)
राममूर्ति, श्री के० (कृष्णागिरि)
रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री (जहानाबाद)
रामुलू, श्री एच० जी० (कोप्पल)
रामूवालिया, श्री बलवंत सिंह (संगरूर)
राय, श्री आई० रामा (कासरगोड़)
राय, श्री राज कुमार (घोसी)
राय, श्री रामदेव (समस्तीपुर)
राय, डा० सुधीर (बर्दवान)
रायप्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)
राव, श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर (अमलापुरम)
राव, श्री के० एस० (मछलीपत्तनम)
राव, श्री जगन्नाथ (बहरामपुर)
राव, डा० जी० विजय रामा (सिद्दिपेट)
राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)
राव, श्री जे० वेंगल (खम्मम)
राव, श्री पी० वी० नरसिंह (रामटेक)
राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर (विजयवाड़ा)
राव, श्री वी० कृष्ण (चिकबल्लापुर)
राव, श्री श्रीहरि (राजामुन्द्री)
रावणी, श्री नवीन (अमरेली)
रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)
रावत, श्री प्रभु लाल (बांसवाड़ा)
रावत, श्री हरीश (अल्मोड़ा)
रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा पूर्व)
रेड्डी, श्री ई० अय्यप्पू (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र (हिंदूपुर)
रेड्डी, श्री सी० जंगा (हनमकोंडा)
रेड्डी, श्री डी० एन० (कडप्पा)
रेड्डी, श्री बेजावाड़ा पपी (ओंगोल)
रेड्डी, श्री मानिक (मेंडक)
रेड्डी, श्री वी० एन० (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री एम० सुब्बा (नन्दयाल)
रेड्डी, श्री एम० रघुमा (नालगोंडा)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री एस० जयपाल (महबूबनगर)

ल

लच्छी राम, चौधरी (जालोन)
लाल डहोमा, श्री (मिजोरम)
लाहा, श्री आशुतोष (दमदम)
लोवांग, श्री वांगफा (अरुणाचल पूर्व)

व

वन, श्री दीप नारायण (बलरामपुर)
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई (पाटन)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (खेरी)
वर्मा, डा० सी० एस० (खगरिया)
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज (मैसूर)
वालिया, श्री चरनजीत सिंह (पटियाला)
वासनिक, श्री मुकुल (बुलढाना)
विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)
वीरसेन, श्री (खुर्जा)
वेंकटेश, डा० वी० (कोलार)
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस० (कुड्डालोर)
वैराले, श्री मधुसूदन (अकोला)
व्यास, श्री गिरधारी लाल (भीलवाड़ा)

श

शंकरानन्द, श्री वी० (चिकोड़ी)
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)

शमिन्दर सिंह, श्री (फरीदकोट)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री नन्द किशोर (बालाघाट)
शर्मा, श्री नवल किशोर (जयपुर)
शर्मा, श्री प्रताप भानु (विदिशा)
शांति देवी, श्रीमती (सम्भल)
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)
शाह, श्री अनूपचन्द (बम्बई उत्तर)
शाहबुद्दीन, श्री सैयद (किशनगंज)
शाही, श्री ललितेश्वर (मुजफ्फरपुर)
शिगड़ा, श्री डी० बी० (दहानू)
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासुमुन्द)
शेरवानी, श्री सलीम आई० (बदायूं)
शैलेश, डा० बी एल० (चैल)
श्री निवास प्रसाद, श्री वी० (चामराजनगर)

स

संकटा प्रसाद डा० (मिसरिख)
संखवार, श्री आशकरण (घाटमपुर)
संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सकरगयम, श्री कालीचरण (खण्डवा)
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
सान्याल, श्री मानिक (जलपाईगुडी)
सम्बू, श्री सी० (बापताला)
सलाउद्दीन, श्री (गोड्डा)
साठे, श्री वसंत (वर्धा)
सामंत, डा० दत्ता (बम्बई दक्षिण मध्य)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
साहू, श्री शिव प्रसाद (राँची)
सिंगरावडीवेल, श्री एस० (तंजावूर)
सिंह, श्री अतीश चन्द्र (बरहामपुर)
सिंह, श्री एन० टोम्बी (आंतरिक मणिपुर)
सिंह, श्रीमती किशोरी (वैशाली)
सिंह, श्री कमला प्रसाद (जौनपुर)
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप (महाराजगंज)
सिंह, श्री के० एन० (हापुड़)
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप नारायण (पदरौना)
सिंह, श्री डी० जी० (शाहाबाद)
सिंह, श्री भानु प्रताप (पीलीभीत)
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप (सरगुजा)
सिंह, श्री राम नारायण (भिवानी)
सिंह, श्री एस० डी० (धनबाद)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री संतोष कुमार (आजमगढ़)
सिंहदेव, श्री के० पी० (ढेंकानाल)
सिबनाल, एस० बी० (बेलगाम)
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद (मुरादाबाद)
सिन्धिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (शिवहर)
सुन्दर सिंह, चौधरी (फिल्लौर)
सुखराम, श्री (मंडी)
सुखाड़िया, श्रीमती इन्दुबाला (उदयपुर)
सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुनील दत्त, श्री (बम्बई उत्तर पश्चिम)
सुन्दरराज, श्री एन० (पुदुकोट्टई)
सुन्दरराजन, श्री एन० (शिवकाशी)
सुमन, श्री राम प्यारे (अकबरपुर)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सुल्तानपुरी, श्री के० डी० (शिमला)

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह (बीदर)
सेट, श्री अजीज (मारवाड़ दक्षिण)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद (भद्रक)
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र (इन्दौर)
सेन, श्री भोला नाथ (कलकत्ता दक्षिण)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेल्वेन्द्रन, श्री पी० (पेरियाकुलम)
सैकिया, श्री गोकुल (लखीमपुर)
सैकिया, श्री एम० आर० (नवगांव)
सोज, प्रो० सैफुद्दीन (बारामूला)
सोढी, श्री मानकूराम (बस्तर)
सोमू, श्री एन० वी० एन० (मद्रास उत्तर)
सोरन, श्री हरिहर (क्योंझर)
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह (सांबला)
सोलंकी, श्री नटवर सिंह (कापड़वंज)
स्वामी, श्री कटूरी नारायण (नरसारावपेट)
स्वामी, श्री डी० नारायण (अनन्तपुर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
स्पैरो, श्री आ० एस० (जालंधर)
स्वैल, श्री जी० जी० (शिलांग)

ष

षण्मुख, श्री ए० सी० (वेल्लोर)
षण्मुख, श्री पी० (पांडिचेरी)

ह

हंसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)
हन्नान मोल्लाह, श्री (उलूबेरिया)
हरद्वारी लाल, श्री (रोहतक)
हरपाल सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
हाल्दर, प्रो० एम० आर० (मथुरापुर)
हेमब्रम, श्री सेत (राजहमल)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० बल राम जाखड़

उपाध्यक्ष

श्री एम० तम्बि दुराई

सभापति तालिका

श्रीमती बसवराजेश्वरी
श्री जैनुल बशर
श्री शरद दिघे
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन
श्री सोमनाथ रथ
श्री एन० वेंकटरत्नम

महासचिव

डा० सुभाष काश्यप

भारत सरकार

मंत्री परिषद के सदस्यों की सूची

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा विदेश; कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी; परमाणु ऊर्जा; इलैक्ट्रोनिकी, महासागर विकास; अंतरिक्ष/ मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा उन अन्य विषयों के प्रभारी जो किसी मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री या राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं।	श्री राजीव गांधी
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री पी० वी० नरसिंह राव
गृह मंत्री	सरदार बूटा सिंह
योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री	श्री पी० शिव शंकर
वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री	श्री नारायण दत्त तिवारी
रक्षा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
उद्योग मंत्री	श्री जे० वेंगल राव
ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री	श्री वसंत साठे
कृषि मंत्री	श्री भजन लाल
विधि और न्याय मंत्री	श्री बिन्देश्वरी दुबे
जल संसाधन मंत्री	श्री दिनेश सिंह
संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
इस्पात और खान मंत्री	श्री एम० एल० फोतेदार
शहरी विकास मंत्री तथा पर्यटन मंत्री	श्रीमती मोहसिना किदवई
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री	श्री मोती लाल वोरा
वस्त्र मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा

राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री ब्रह्मदत्त
श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाईटलर
रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री माधवराव सिंधिया
कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री	डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री राजेश पायलट
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री सुख राम
पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी

राज्य मन्त्री

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री	श्री अजीत पांजा
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बीरेन सिंह एंगती
वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री	श्री बी० के० गढवी
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री	श्री सी० के० जाफर शरीफ
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री दलबीर सिंह
वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री एडुआर्डो फैलीरो
पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री गिरिधर गोमांगो
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० आर० भारद्वाज
कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री	श्री हरि कृष्ण शास्त्री
कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री जनार्दन पुजारी
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० नटवर सिंह
जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती कृष्णा साही
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री	श्री के० आर० नारायणन
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री	श्री एल० पी० शाही
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री	श्रीमती मारग्रेट आल्वा
उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री एम० अरुणाचलम
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० एम० जैकब
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी० चिदम्बरम
वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री प्रिय रंजन दास मुंशी
इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री	श्री रामानन्द यादव
कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री	श्री आर० प्रभु
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री संतोष मोहन देव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	कुमारी सरोज खापर्डे
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती शीला दीक्षित
रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री	श्री शिवराज वी० पाटिल
कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री	श्री श्याम लाल यादव
ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री	श्री योगेन्द्र मकवाना

उपमंत्री

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री	श्री डी० एल० बैठा
रेल मंत्रालय में उपमंत्री	श्री महाबीर प्रसाद
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री	श्री पी० नामग्याल
श्रम मंत्रालय में उपमंत्री	श्री राधाकिशन मालवीय
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उपमंत्री	श्री रफीक आलम
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री	श्री एस० कृष्ण कुमार
कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री	श्रीमती सुमति उरांव

लोक सभा

सोमवार, 22 फरवरी, 1988/3 फाल्गुन, 1909 (शक)

लोक सभा 12 बजकर 55 मिनट म०प० पर समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राष्ट्रपति का अभिभाषण

महासचिव : मैं 22 फरवरी, 1988 को संसद के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

राष्ट्रपति का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

मेरे लिए यह गौरव की बात है कि मैं राष्ट्रपति के रूप में पहली बार आपको सम्बोधित कर रहा हूं। मैं संसद के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से नये सदस्यों को बधाई देता हूं जिनमें दमण और दीव के नव गठित निर्वाचन-क्षेत्र का एक प्रतिनिधि पहली बार शामिल हुआ है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर मैं वहां के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

2. चन्द हफ्ते ही हुए हैं, हमें एक महापुरुष से वंचित होना पड़ा। वे स्वतन्त्रता-संघर्ष के हलचलपूर्ण युग की कड़ी थे, अब वे हमारे बीच नहीं हैं। महात्मा गांधी के निकटतम सहयोगी, खान अब्दुल गफ्फार खां, अहिंसा और धर्म-निरपेक्षता की भावना के प्रतीक थे। उनका जीवन अद्भुत धैर्य और बलिदान की वीरगाथा था। मैं अपने उन दूसरे साथियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो अब हमारे बीच नहीं हैं। उनमें हैं भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री चरण सिंह। दूसरे हैं श्री एम० जी० रामचन्द्रन, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया।

3. हमारी संकल्पना एक ऐसे भारत की है जहां देश की भीतरी कमजोरियों या बाहरी खतरों से उसकी एकता और अखण्डता को आंच न आने पाये;

— जहां हमारे संविधान में निहित लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता और समाजवाद के आदर्श पूर्णतः चरितार्थ हों;

— जहां सामाजिक न्याय हो, और प्रत्येक मानव प्राणी को समान अवसर मिले;

— जहां विज्ञान और टेक्नालॉजी गरीबी और बीमारी को समाप्त करने में सहायक हों;

— जहां आर्थिक विकास से प्रकृति का कोष रिक्त न हो जाए, बल्कि प्रकृति से सुमेल रखते हुए धनसम्पदा का सृजन हो;

— जहां औद्योगिकीकरण एवं आधुनिकीकरण के साथ-साथ हमारे नैतिक आचार व आध्यात्मिक विचार कायम रहें;

— जहां सभी धर्म और संस्कृतियां आपसी आदर और सहयोग के माहौल में फलें-फूलें।

हमारी कल्पना ऐसे भारत की है जिसका विश्व के अन्य देशों के साथ आचार-व्यवहार शांति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति समर्पित हो, और हम एक ऐसी विश्व-व्यवस्था देखना चाहते हैं जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित हो।

पिछले 40 वर्षों में हम उस रास्ते पर आगे बढ़े हैं जिसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने दिखाया था। चाहे जो भी कठिनाइयां आएं हम उसी रास्ते पर उसी संकल्प और साहस के साथ चलते रहेंगे जिनको इन्दिरा गांधी ने हमारे मन में बैठाया था।

4. स्वतंत्रता संग्राम आत्म-निर्भर प्रगति के लिए संघर्ष का, सामाजिक विमुक्ति का, मानव सभ्यता के अग्रणी के रूप में भारत को उसका परम्परागत, ऐतिहासिक स्थान पुनः दिलाने के लिए संघर्ष का अग्रदूत था। हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। उससे भी अधिक उल्लेखनीय रही हैं हमारे प्रयास की समनुरूपता, हमारे प्रयत्न की ईमानदारी, हमारी जनता की निष्ठा और कड़ी मेहनत। हमारा मुख्य उद्देश्य गरीबी की स्थिति में तेजी से सुधार लाना और उसका उन्मूलन करना रहा है। गरीबी दूर करने का मुख्य साधन है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का तेजी से और निरन्तर विस्तार करना। हमारी नीति सम्पत्ति-निर्माण और रोजगार-निर्माण गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के जरिए समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों के पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने के साथ-साथ तेज गति से और अधिक विविधतापूर्ण विकास करने की रही है और उसके साथ-साथ क्वालिटी शिक्षा का व्यापक कार्यक्रम भी चलाया है। हम अपने अतुलनीय मानव संसाधनों की पूरी क्षमता को प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था की विकास संबंधी अपेक्षाओं और रोजगार संबंधी आवश्यकताओं के साथ देश की शिक्षा रूपरेखा का सुमेल बना रहे। हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। गत सात वर्षों में प्रगति की रफ्तार उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। आठवीं योजना में इससे भी अधिक गति से विकास, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बनाये जाने और क्षेत्रीय असमानताओं को जोरदार ढंग से कम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें विकास की उच्चतर दर और ऐसे विकास के स्वरूप दोनों की आवश्यकता है जो हमारी

जनता की बुनियादी आवश्यकताओं और हमारी अर्थ-व्यवस्था एवं विकासशील अपेक्षाओं से मेल खाता हो।

5. हमने दो महत्वपूर्ण बुनियादी असूलों में रहते हुए विकास के लिए कार्रवाई की है : हमारे देश की स्वतंत्रता और हमारी जनता की स्वतंत्रता। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने अपने नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी के लिए तथा अपनी स्वतंत्रता, अखण्डता एवं राष्ट्रीयता के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से शक्तिशाली संस्थाओं का निर्माण किया है। बाहर से और भीतर से हमारी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली को नष्ट करने, दुर्बल बनाने और क्षति पहुंचाने के लिए प्रयास किए गए हैं। हमारी जागरूक जनता ने सदैव ऐसे सभी प्रयासों को नाकाम कर दिया है।

6. वर्षा के न होने से हमारी अर्थ-व्यवस्था की लोचशीलता और हमारे उद्देश्य की दृढ़ता कसौटी पर चढ़ी है। हमारे कृषि समुदाय और वस्तुत: सम्पूर्ण राष्ट्र ने इस गम्भीर आर्थिक चुनौती का अत्यधिक वीरता के साथ मुकाबला किया है। लोग सरकार को बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं। राष्ट्र का आर्थिक कार्यनिष्पादन इस बात का परिचायक है कि हमारी विकास नीति कितनी स्वस्थ और शक्तिशाली है।

7. दृढ़ संकल्प और संगठित राष्ट्रीय प्रयास के साथ पंजाब और अन्य क्षेत्रों में आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला किया जा रहा है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन के परिणाम स्वरूप कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने पंजाब के लोगों की पुनर्जीवित इच्छा शक्ति का उपयोग किया है और भ्रमित राष्ट्रविरोधी तत्वों के विरुद्ध दृढ़ता के साथ अभियान चलाया है। सबसे पहला काम है आतंकवाद को समाप्त करना और अलगाववादियों को अलग-थलग करना। हाल में आतंकवादियों ने अपनी विध्वंस गतिविधियों को तेज कर दिया है। उनका मुकाबला हमारी सुरक्षा सेना के उच्च मनोबल, पुनर्जीवित व्यावसायिकता तथा कड़ी सतर्कता से है। उनका मुकाबला उन लोगों से भी है जो धमकी में नहीं आते या भयभीत नहीं होते। राष्ट्र की अखण्डता और एकता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता और न होगा। संविधान की रूपरेखा के अन्तर्गत समस्या का अहिंसक राजनीतिक समाधान खोजने के लिए सरकार उन सभी से वार्ता करने के लिए तैयार है जो हिंसा का तिरस्कार करते हैं। राष्ट्र को निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु पर दु:ख है। हम उनका अभिवादन करते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों की बलि दी है।

8. त्रिपुरा में उग्रवादियों ने आतंक का अपना अभियान तेज कर दिया। हिंसा में वृद्धि होने और निर्दोष व्यक्तियों की अधिक हत्याएं होने के कारण सरकार के पास त्रिपुरा को अशांत क्षेत्र घोषित करने के अलावा कोई चारा न रहा। हम वहां हिंसा को दबाने के लिए कृत-संकल्प हैं।

9. साम्प्रदायिकता, कट्टरपंथ तथा अन्य अलगाववादी प्रवृत्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के अपने इरादे में हम दृढ़-प्रतिज्ञ हैं। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की समितियां साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के उपाय निकालने में सक्रिय रही हैं। केन्द्र एवं राज्यों को

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए सतत प्रयास करने चाहिए।

10. सदियों पुराने सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव और दमन के परिणामों को समाप्त करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। हमने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का पुनर्गठन किया है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय को मजबूत किया है। हमारे समाज के इन सुविधाहीन वर्गों के कल्याण और विकास को हम कितना महत्व देते हैं, उसका अंदाजा सातवीं योजना में उनके लिए रखे गए 14000 करोड़ रुपये से अधिक परिव्यय से लगाया जा सकता है। यह एक विशेष संतोष की बात है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर० डी० पी०) के अधीन इन दोनों श्रेणियों के 41 प्रतिशत लोगों को लाभ पहुंचा, जो निर्धारित 30 प्रतिशत के लक्ष्य से कहीं अधिक है।

11. वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव हुए।

12. तमिलनाडु में जनवरी में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसे देखते हुए उस राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के उपबन्धों का सहारा लेना पड़ा। उस राज्य में जल्दी ही चुनाव कराने का प्रस्ताव है।

13. केन्द्र राज्य संबंध आयोग ने, जिसकी स्थापना न्यायमूर्ति श्री आर० एस० सरकारिया की अध्यक्षता में की गई थी, अपनी रिपोर्ट दे दी है। निर्णयों पर पहुंचने से पहले संसद्, राज्यों और जनता के विचारों पर गौर किया जायेगा।

14. शिक्षा की राष्ट्रीय नीति आगामी पीढ़ियों के लिए हमारी धरोहर है और भविष्य के लिए हमारा मापदण्ड है। सबके लिए क्वालिटी शिक्षा राष्ट्रीय विकास की कुंजी है। नीति के कार्यान्वियन के लिए कार्रवाई कार्यक्रम 1986 में संसद् में पेश किया गया। नीति के अनुसार वर्ष के दौरान प्रमुख कदम उठाए गए। हमारी नजर में प्राथमिक शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण का स्तर सुधारने और अवस्थापना में सुधार लाने के लिए आपरेशन "ब्लैक बोर्ड" शुरू किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए राज्यों की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर साल 5 लाख अध्यापकों के प्रशिक्षण के विशाल कार्यक्रम को जारी रखा गया है। राष्ट्रीय एकता की भावना और अपनी विरासत के प्रति जागृति लाने के लिए एक राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। नवोदय विद्यालयों की संख्या बढ़कर 206 हो गई है। 1986 के लिए इन विद्यालयों से प्रवेश-परीक्षाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि चुने गए 41 प्रतिशत बच्चे गरीबी की सीमा रेखा से नीचे स्तर के परिवारों के हैं, 77 प्रतिशत बच्चे ग्रामीण इलाकों के हैं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों का प्रतिशत कुल आबादी में उनके प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। लड़कियों के लिए माध्यमिक स्तर की निःशुल्क शिक्षा की योजना पर अब सभी राज्यों में अमल किया जा रहा है। शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने के लिए एक व्यापक योजना तैयार कर ली गई है। उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा की

क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार विभिन्न उपायों पर कार्यवाही कर रही है।

15. छोटे परिवार के मानदण्ड को बढ़ावा देना उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता है। गत वर्ष 2 करोड़ लोगों द्वारा गर्भ-निरोधक उपाय अपनाये गए, जो अब तक प्राप्त स्तरों में सबसे उच्च है। परिवार कल्याण और स्वास्थ्य की समस्याएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अतः उनका समाधान अनेक एकीकृत उपायों से किया जा रहा है। रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रमों में पिछले दो सालों में तेजी आई है।

16. सब प्रकार के पूर्वग्रह; भेदभाव और दुर्व्यवहार, वंचन तथा अत्याचार से नारी की विमुक्ति राष्ट्रीय कर्त्तव्य और राष्ट्रीय कार्य है। राष्ट्र के जीवन में उनकी पूरी और समान सहभागिता राष्ट्रीय आवश्यकता है। महिलाओं की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने 2000 ईसवी तक की एक परिप्रेक्ष्य योजना बनाई है। सरकार ने महिलाओं से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने और परामर्श देने के लिए महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय समिति का भी पुनर्गठन किया है। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं पर गौर करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया है। उसकी रिपोर्ट जल्दी ही मिल जाने की आशा है।

17. देवराला की बर्बरतापूर्ण घटना के बाद, सती (निरोधक) अधिनियम, 1987 पारित किया गया। सरकार इस कुरीति को समाप्त करने के लिए कृत-संकल्प है। इन प्रयासों के समर्थन में यथासंभव व्यापक जनमत तैयार किया जाना चाहिए।

18. देश की जनसंख्या के स्वरूप में हो रहा परिवर्तन हमारे परिवर्तनशील समाज की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। राष्ट्र के जीवन में युवा वर्ग का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए युवा वर्ग की आवश्यकताएं पूरी करना और उन्हें राष्ट्र के जीवन में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करना उच्च प्राथमिकता के विषय हैं। नेहरू युवक केन्द्रों में उच्च स्तर की गतिशीलता लाई गई है। राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत स्काउट्स और गाइडस तथा नेशनल कैडट कोर के द्वारा हमारे लाखों लड़के-लड़कियों में बौद्धिक और शारीरिक अनुशासन तथा उत्साह और साहस की भावना जगाई जा रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हमारे युवाओं के एथलेटिक कौशल को अवसर प्रदान करके प्रशंसनीय कार्य किया है।

19. सद्भावपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध वर्ष की महत्वपूर्ण बात रही। हम श्रमिकों तथा प्रबन्धकों दोनों को उनके रचनात्मक दृष्टिकोण के लिए बधाई देते हैं। हम उद्योग में प्रबन्ध-व्यवस्था में भागीदारी की प्रथा को बढ़ावा देना चाहते हैं। सरकार औद्योगिक सम्बन्धों पर एक व्यापक विधेयक और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में विस्तृत परिवर्तनों के लिए एक विधेयक लाना चाहती है।

20. जबकि हमारे श्रमिकों के वर्गों ने अधिकार प्राप्त करने और उनकी रक्षा करने के लिए अपने आपको संगठित कर लिया है, हमारे श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या असंगठित है और इसलिए उनका शोषण किया जाता है। काम की उनकी दशाओं के बारे में आंकड़े अपर्याप्त हैं और उनकी स्थिति सुधारने के लिए कार्रवाई असंतोष-

जनक है। हमें उनके कल्याण एवं उनकी प्रगति की गहरी चिन्ता है। हम उनकी दशा सुधारने के लिए वचनबद्ध हैं। अतः हमने ग्रामीण श्रमिकों के बारे में राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की है। हमने बाल श्रमिकों के बारे में भी राष्ट्रीय नीति तैयार की है। बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उनका पुनर्वास करने के काम में स्वयं-सेवी एजेंसियों को शामिल किया जा रहा है।

21. 20-सूत्री कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्र में नई आशा जगाई है। इसके लिए चालू वर्ष में कुल योजना परिव्यय का 30 प्रतिशत भाग रखा गया हैं। आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी० तथा आर० एल० ई० जी० पी० ग्रामीण गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करने के हमारे मुख्य साधन हैं। पिछले 7 सालों में, आई० आर० डी० पी० के तहत कमजोर वर्गों और गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले अन्य पिछड़े ग्रुपों के 234 लाख से भी अधिक परिवारों को सहायता दी गई है। लाभ प्राप्त करने वालों में महिलाओं की संख्या अब 16 प्रतिशत हो गई है। अप्रैल, 1987—जनवरी, 1988 की अवधि में एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० कार्यक्रमों से रोजगार के 47 करोड़ .0 लाख श्रम दिवस उपलब्ध हुए।

22. जल को पहली बार एक अत्यावश्यक राष्ट्रीय सम्पत्ति माना गया है। नई राष्ट्रीय जल नीति इस बारे में राष्ट्रीय मतैक्य के परिणामस्वरूप ही सामने आई है। इससे हमारे जल संसाधनों के प्रभावी योजनाबद्ध विकास और पूर्ण उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है।

23. गंगा एक्शन योजना की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित हुआ है। 25 नगरों और शहरों में यह योजना पूरे जोरों पर है। पर्यावरण-संरक्षण कार्य प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में उभर कर आया है। प्राथमिकता वाले 24 उद्योगों के लिए पर्यावरण सम्बन्धी मानदंड अधिसूचित किए गए हैं। वायु-प्रदूषण के बारे में संसद ने पहले ही कानून में संशोधन कर दिया हैं। हमारे वनों को संरक्षण देने और जल-प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर विधायी उपाय किए जाने की योजना है।

24. सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना के लिए संसद् के शीतकालीन सत्र में कानून पेश किया। इस बैंक के प्रमुख कार्यों में एक होगा कमजोर वर्गों को आवास के लिए वित्त की व्यवस्था करना। इस सत्र में सरकार लाखों बेघर लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय आवास नीति प्रस्तुत करेगी।

25. 20-सूत्री कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण सूत्र और अधिक संवेदनशील प्रशासन का विकास करना है, विशेषकर जहां तक इसका सम्बन्ध कमजोर वर्गों से है। संवेदन-शील प्रशासन विषय पर जिला कलेक्टरों के लिए अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। लोक शिकायतों को दूर करने वाले तन्त्र को मजबूत बनाया जा रहा है। जिला योजना प्रकोष्ठों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

26. पददलित लोगों को जल्द और कम खर्चीला न्याय दिलाने की योजना में प्रगति हुई। कानूनी सहायता योजनाओं को अमल में लाने का काम एक समिति को सौंपा गया है, जिसके मुख्य संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं।

27. पिछले वर्ष तस्करी, विदेशी मुद्रा के अवैध धन्धे और नशीले पदार्थों के व्यापार के विरुद्ध अभियान को नये सिरे से तेज किया गया। केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो तस्करों और इस धन्धे में लगे बड़े गिरोहों के खिलाफ सक्त कार्रवाई कर रहा है।

28. नशीले पदार्थों का खतरा चिन्ताजनक रूप धारण कर रहा है। यदि हम सावधान नहीं रहे, तो हमारे युवकों का यौवन खतरे में पड़ जाएगा, राष्ट्र का शारीरिक और नैतिक ढांचा निर्बल हो जाएगा। हम इस बुराई को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने इस वर्ष भारी मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़े हैं। नशे के शिकार अभागे व्यक्तियों की आदत छुड़ाने और उनके पुनर्वास के कार्यक्रम चलाए गए हैं।

29. हम विज्ञान और टेक्नालाजी का उपयोग, विशेषकर ग्रामीण भारत में, गरीबी दूर करने के प्रयोजन से सजगतापूर्वक कर रहे हैं। हमारे पांच टेक्नालाजी मिशनों का यही उद्देश्य है। इन पांच मिशनों को दिए गए कार्य इस प्रकार हैं : देश के सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराना; 2 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 1 करोड़ 80 लाख नवजात शिशुओं को वैक्सीन-निरोध्य बीमारियों से बचाना; 3 करोड़ बालिगों को प्रयोजनमूलक शिक्षा देना; तिलहनों और खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाना; और दूर-संचार सेवाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाना। इन मिशनों ने 1988-89 और 1989-90 के लिए अपनी प्रचालन योजनाएं बना ली हैं। योजनाओं की ध्यानपूर्वक मानिटरिंग की जा रही है तथा उनका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जा रहा है।

30. सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकीकृत ऊर्जा की नीति अपनाई है। ऊर्जा के प्राकृतिक तथा सतत स्रोतों जैसे सूर्य, वायु, बायोमास को और मिनी-हाइडल स्रोतों एवं उन्नत चूल्हों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

31. तेल खोजने और निकालने का काम तेज किया जा रहा है। तेल साफ करने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। तेल शोधक कारखानों में आधुनिक टेक्नालाजी लाने, उनका विकास करने और उन्हें अनुकूल बनाने के लिए एक हाई टेक्नालाजी केन्द्र की स्थापना की गई है। एच० बी० जे० पाइपलाइन का पहला सेक्शन वर्ष के दौरान पूरा कर लिया गया।

32. इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत उन चंद देशों की श्रेणी में आ गया है जिनके पास इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज बनाने की अपनी टेक्नालाजी है। साफ्टवेयर निर्यात एक प्रमुख नये विकास क्षेत्र का रूप धारण कर रहा है।

33. परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में हम उन गिने-चुने देशों में से एक हैं जिन्हें परमाणु-ऊर्जा के उत्पादन के लिए सम्पूर्ण परमाणु-ईंधन-चक्र में निपुणता प्राप्त है। इस क्षेत्र में 500 मेगावाट क्षमता के रिएक्टरों को डिजाइन करना एक ऐतिहासिक घटना है। परमाणु पावर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए परमाणु पावर निगम की स्थापना की गई है।

34. समुद्र-तल में खदान की क्षमताओं के विकास के लिए हमारे प्रयासों में अगस्त 1987 का महत्वपूर्ण स्थान रहा। अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-तल प्राधिकरण के प्रारम्भिक आयोग ने हिन्द महासागर में एक खान-क्षेत्र में खोज और विकास करने के भारत के दावे को पंजीकृत कर लिया। यह गर्व की बात है कि भारत ऐसा पहला देश है जिसका ऐसा दावा इस प्राधिकरण ने मंजूर किया है।

35. भारत के पहले रिमोट सेंसिंग उपग्रह का डिजाइन व विकास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने किया है। इस उपग्रह को अगले महीने सोवियत लांचर द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा जायेगा। स्रोस-II उपग्रह सहित संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान की दूसरी उड़ान अप्रैल माह में होगी। यह उपग्रह संयुक्त इसरो पश्चिम जर्मन पेलोड ले जायेगा। जून में हमारा संचार उपग्रह इन्सैट-I सी फ्रेंच एरियन लांचर से छोड़ा जायेगा।

36. जहां तक स्मृति जाती है, अब तक के एक सबसे खराब मौसमी संकट अर्थात देश के अधिकांश भागों में व्यापक सूखे और पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ के बावजूद, हमारे अर्थतंत्र ने अपने लचीलेपन का परिचय दिया। हमने चुनौती का अच्छी तरह सामना किया है और संकट को टाला है क्योंकि इंदिरा गांधी द्वारा अपनाई गई विकास नीति और गत तीन वर्षों के नये प्रयासों से हमारे अर्थतंत्र को आंतरिक शक्ति प्राप्त हुई है। जैसे ही जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी हम कृषि विकास में फिर से गति लाने के काम को सुनिश्चित करेंगे।

37. 15 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 269 जिलों की लगभग 450 लाख हेक्टेयर भूमि सूखे से प्रभावित हुई। बहुत से क्षेत्रों में अनावृष्टि का यह लगातार दूसरा वर्ष था; कुछ में तीसरा या चौथा। वर्ष 1986-87 के स्तर के मुकाबले अनाज के उत्पादन में 7 से 10 प्रतिशत की कमी होने का अंदेशा है। सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई। राज्यों को रोजगार, पीने के पानी और चारे की आपूर्ति के लिए शीघ्र ही केंद्रीय सहायता दी गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को काफी विस्तृत किया गया। किसानों को ऋण-सहायता और अतिरिक्त ऋण-सहायता की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। तीन या उससे अधिक वर्षों से प्रभावित किसानों के लिए मूलधन और ब्याज की अदायगी का स्थगन भी इनमें शामिल है। रबी की अधिकतम पैदावार प्राप्त करने के लिए नीति अपनाई गई है।

38. हमारा हमेशा से यही विश्वास रहा है कि राष्ट्र तभी मजबूत बन सकता है जब कृषि और किसान मजबूत होंगे। खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता की ओर हमारा प्रयास बड़ा कारगर साबित हुआ है। हमने खाद्यान्नों के बड़े बफर भण्डार बनाए। इनसे हम मुश्किल हालात पर काबू कर पाए हैं। चावल उत्पादन के विशिष्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वी राज्यों में हाल के वर्षों में चावल की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। सरकार 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक खाद्यान्न उत्पादन को 1750 लाख टन करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ जुटी हुई है। शुष्क भूमि पर कृषि की उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाएगा। इस नीति पर विस्तृत विचार के लिए एक

कार्यदल नियुक्त किया गया है। इस दिशा में एक नवीन परिवर्तन है—कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर काश्तकारी की योजनाएं बनाना।

39. सूखा राहत के लिए आवश्यक धनराशि बजट में निर्धारित राशि से बहुत अधिक हो गई। यह आवश्यक हो गया कि मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए जवाबी वित्तीय उपाय किए जाएं। इसके लिए आयकर, सम्पत्ति-कर, निगम-कर और सीमा-शुल्क पर अस्थाई अधिभार लगाया गया। सरकारी खर्चों में सख्ती के साथ किफायत की गई। रिजर्व बैंक ने भी बैंकिंग प्रणाली में अधिक नकदी समेटने और चयनात्मक नियन्त्रणों को कड़ा करने के उपाय किए। मुद्रास्फीति का दबाव पहले के सूखों की अपेक्षा बहुत कम रहा है। वर्ष 1979-80 में थोक मूल्य सूचकांक में 21 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई थी। इसके विपरीत, जनवरी, 1988 के तीसरे सप्ताह तक यह वृद्धि केवल 9.8 प्रतिशत रही है।

40. औद्योगिक क्षेत्र का कार्य सराहनीय रहा है। यह उत्पादन और निवेश में वृद्धि तथा बेहतर तकनीक के लिए सरकार की नीतियों की सफलता का परिचायक है। हमारे औद्योगिक श्रमिक विशेष प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने उत्पादकता बढ़ाने के आह्वान पर अच्छी प्रतिक्रिया दिखलाई। वर्ष 1984-85 से उद्योग में प्रतिवर्ष 8.5 से लेकर 9 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। वर्ष 1987-88 में वृद्धि की यह दर बरकरार रही और अप्रैल-नवम्बर, 1987 में औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में 10.2 प्रतिशत वृद्धि हुई। गैर कृषि क्षेत्रों में सूखे के प्रभाव सामने आने पर पूरे वर्ष में इसके 8 प्रतिशत से अधिक होने की सम्भावना है। इस अवधि में लघु उद्योग क्षेत्र ने औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लघु औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक नेशनल इक्विटी फण्ड की स्थापना की गई। बीमार औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत गठित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने गत मई से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

41. अवस्थापना ने, जो लगभग पूरी तरह सार्वजनिक क्षेत्र में है, बहुत अच्छा कार्य किया है। वर्ष 1986-87 में अर्थतंत्र के इस क्षेत्र में अच्छी वृद्धि हुई जैसे बिजली के उत्पादन में 10.2 प्रतिशत, कोयले के उत्पादन में 7.5 प्रतिशत और रेल द्वारा माल ढुलाई में 7.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। चालू वर्ष में इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति होती रही है। सूखे के कारण पनबिजली उत्पादन में हुई काफी कमी के बावजूद अप्रैल-दिसम्बर, 1987 में बिजली का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 7.6 प्रतिशत अधिक हुआ। ताप विद्युत के उत्पादन में 16.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसम्बर, 1987 में प्लांट लोड फैक्टर का औसत 55 प्रतिशत रहा है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 52.2 प्रतिशत था। वर्ष 1987-88 के पहले 9 महीनों में कोयले में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर रही। रेल द्वारा माल ढुलाई में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

42. राष्ट्रीय अर्थतंत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभावशाली स्थान है। यह भारत की आर्थिक स्वतन्त्रता की रक्षा करता है। समाजवाद लाने की हमारी विकास-नीति में सार्वजनिक

क्षेत्र की यह प्रमुख भूमिका बनी रहनी चाहिए और बनी रहेगी। यही कारण है कि सरकार ने इस क्षेत्र की कार्यपटुता और वित्तीय क्षमता में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। हम मेमोरैण्डा आफ अण्डरस्टैंडिंग के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को और अधिक कार्य संबंधी स्वायत्तता दे रहे हैं।

43. कठिन बाहरी परिस्थिति के बावजूद भुगतान-संतुलन की स्थिति को सफलतापूर्वक संभाला गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयत्नों का अच्छा परिणाम रहा है। वर्ष के पहले नौ महीनों में मूल्य के हिसाब से निर्यात में 24·7 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि हुई है जबकि आयात मे वृद्धि 13.5 प्रतिशत तक रखी गई है। अप्रैल-दिसम्बर, 1987 में व्यापार-घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए घाटे से कम था। सरकार भुगतान-संतुलन की स्थिति पर कड़ी नजर रखेगी।

44. केन्द्रीय क्षेत्र योजना परिव्यय सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों से अधिक रहे हैं। यह सन्तोष की बात है, फिर भी, हमें वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति पर और अधिक ध्यान देना है। योजना आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा पूरी कर ली गई है और इसे शीघ्र ही राष्ट्रीय विकास परिषद् और संसद् में प्रस्तुत किया जायेगा।

45. प्रारम्भिक काल से भारतीय विचारधारा "संकीर्ण घरेलू सीमाओं" को पार कर गई है और उसने सम्पूर्ण मानवता को विशाल कुटुम्ब के रूप में देखा है। सहस्रों वर्षों से हमारी विरासत सहिष्णुता और दया की, सभी स्थानों से जो कुछ सर्वोत्तम है, उसे आत्मविश्वास के साथ आत्मसात् और संश्लिष्ट करने की रही है। स्वतन्त्रता संग्राम में सत्य, अहिंसा और मानव की एकता के प्राचीन सिद्धांत हमारे मार्गदर्शक रहे। हमारी विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत इसी एकीकृत और पूरी तरह से स्थापित विश्व-दृष्टिकोण पर आधारित हैं। गुट-निरपेक्षता का सिद्धांत और उस पर व्यवहार करना समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए आधुनिक भारत का उल्लेखनीय योगदान है। यह वह सिद्धांत है जिसकी संकल्पना व जिसका प्रतिपादन महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू जैसे दूरदृष्टि वाले महापुरुषों द्वारा किया गया था। शुरू में यह दृष्टिकोण अल्पसंख्यकों का दृष्टिकोण था जिसके प्रति विरोध प्रकट किया गया और यहां तक कि उसका उपहास किया गया किन्तु अब इसके मानने वालों की संख्या अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का दो-तिहाई हिस्से तक बढ़ गई है जिसका सर्वत्र विचारशील लोगों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है और नई विश्वव्यवस्था के निर्माण में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी विदेश नीति ने हमारी प्रभुसत्ता की रक्षा की है, हमारे राष्ट्रीय हितों को उन्नत किया है और एक उचित, न्यायसंगत एव लोकतांत्रिक विश्वव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास करते हैं। हम सभी देशों के साथ अपनी मैत्री और सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं। हम शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

46. जबकि रक्षा नीति निर्धारक निवारण की पुरानी अवधारणाओं की कीचड़ में फंसे रहे, एक ऐसे विश्व में जिसके परमाणु अस्त्रों के द्वारा समाप्त होने की आशंका थी, हिरोशिमा के तुरन्त बाद ही महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु अस्त्रों के विनाशकारी प्रभाव को भांप लिया था। इन हथियारों की समाप्ति स्वतन्त्र भारत की विदेश नीति का प्रमुख आधार बनी। गत चालीस वर्षों में लगातार भारत ने परमाणु अस्त्र-रहित अहिंसक विश्व के लिए दृढ़ निश्चय से कार्य किया है। छह देशों की पहल ने, जिसमें इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, निरस्त्रीकरण वार्ताओं को, जिनमें गतिरोध आ गया था, पुनः आरम्भ करने में सार्थक सहयोग दिया। इस पहल से परमाणु निरस्त्रीकरण के पक्ष में विश्वव्यापी जनमत तैयार हुआ। इसने भू-आधारित मध्यम और कम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों की समाप्ति के बारे में गत दिसम्बर में वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित करार के लिए वातावरण तैयार करने में मदद की है। हमने परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर पहले ऐतिहासिक कदम के रूप में इस करार का स्वागत किया है और साथ ही हमने इस सम्बन्ध में तेजी से प्रगति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है कि परमाणु अस्त्रों के भंडारों में आगे भी भारी मात्रा में कमी हो और इस प्रक्रिया में परमाणु अस्त्र वाली सभी शक्तियों का प्रवेश हो। पिछले महीने स्टाकहोम शिखर सम्मेलन में उन कदमों की व्याख्या की गई जिन्हें आई० एन० एफ० संधि के संदर्भ में उठाये जाने की आवश्यकता है ताकि एक निश्चित अवधि के अन्दर विश्वव्यापी रूप से सभी परमाणु अस्त्रों की समाप्ति सुनिश्चित हो सके।

47. हमारे भविष्य को मानवीय पर्यावरण में बढ़ते हुए बिकार से भी खतरा है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली कोशिशों का समर्थन करते हैं। हमने पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की बैठक अपने यहां आयोजित की। आयोग की रिपोर्ट पर विशेष बहस के दौरान प्रधान मन्त्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सम्बोधित किया।

48. जुलाई, 1987 में हमने ऐतिहासिक भारत-श्रीलंका करार सम्पन्न किया जिसका श्रीलंका में शांति और उस देश में तमिल अल्पसंख्यकों के लिए न्याय के अग्रदूत के रूप तमिलनाडु में और भारत के दूसरे भागों में स्वागत किया गया। इस समझौते को सर्वोच्च राजनीतिक कौशल के रूप में विश्व भर में सराहा गया है। करार के उपबन्धों से श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों की वैध आकांक्षाएं पूरी होती हैं और साथ ही श्रीलंका की एकता और अखण्डता भी सुनिश्चित होती है। इस करार से उस देश में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। इससे हमारी जरूरी सुरक्षा-आवश्यकताएं पूरी होती हैं और हमारे क्षेत्र में गुट-निरपेक्षता को बल मिलता है। जैसी कि करार में व्यवस्था की गई है और राष्ट्रपति जयवर्धने के तत्काल अनुरोध पर श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी गई। उसने अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में उल्लेखनीय काम किया है। हम अपने बहादुर सैनिकों की सराहना

करते हैं। जिन लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, हमारा संकल्प है कि उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हमारा दृढ़ संकल्प है कि संविधान के करार के सभी उपबंधों को पूरी तरह से अमल में लाया जाए। हम उसके अंतर्गत उपबंधित प्रक्रियाओं को और गति प्रदान कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि श्रीलंका में जातीय समस्या का स्थायी हल प्राप्त करने का उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त हो जाए।

49. दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और उस क्षेत्र की बढ़ती हुई अहमियत हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण आयाम रही है। हमारी अध्यक्षता में क्षेत्रीय सहयोग मजबूत हुआ और कई बड़े प्रयत्नों को बढ़ावा मिला। काठमाण्डू में तीसरे शिखर सम्मेलन से यह प्रक्रिया आगे बढ़ी है। हमें दक्षिण एशियाई सहयोग के लिए उपयोग में न लायी गयी बड़ी क्षमता प्राप्त करनी चाहिए।

50. भारत और पाकिस्तान के लोगों में बहुत समानताएं हैं। हम पाकिस्तान के लोगों की भलाई की कामना करते हैं। हम दोनों देशों के लोगों के बीच अधिक आपसी आचार-व्यवहार के जरिए विश्वास और मित्रता बढ़ाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान सरकार हमारी भावनाओं के सदृश्य व्यवहार करेगी और स्थायी शांति व मैत्री का माहौल बनाने में सहायक होगी। दुर्भाग्यवश, इस दिशा में हमारी कोशिशों में अड़चन पैदा की गई है और हमारे बहुत से प्रयत्नों को नाकाम किया गया है। पाकिस्तान परमाणु अस्त्र प्राप्त करने की अपनी गुप्त कोशिशों में लगा हुआ है। वह भारत में आतंकवादी और अलगाववादी तत्वों की मदद करने में भी लगा हुआ है। क्या मैत्री और सहयोग का यही मार्ग है ? मेरी सरकार का अब भी यह विश्वास है कि उनमें विवेक और सद्बुद्धि आएगी और पाकिस्तान सरकार भारत के प्रति अपनी नीति का नये सिरे से मूल्यांकन करेगी।

51. हम चीन के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने को बहुत महत्व देते हैं। विवादग्रस्त मुद्दों का हल हमारे राष्ट्रीय हित के अनुरूप सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाना है। सीमा पर शांति और अमन बनाए रखना आवश्यक है।

52. हम अफगानिस्तान के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा की जा रही कोशिशों का समर्थन करते हैं। यद्यपि, समझौते के रास्ते में अड़चनें पैदा की जा रही हैं, फिर भी, इस मामले में ठोस परिवर्तन के संकेत हैं। निर्धारित समयावधि में सोवियत सेनाओं की वापसी के बारे में हम महासचिव गोर्बाचोव की घोषणा का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि जेनेवा में होने वाली आगामी सन्निकट वार्ता में अन्तिम हल निकल आएगा। हम सम्बन्धित पक्षों से संपर्क बनाए हुए हैं। हम उनके साथ मिलकर प्रभुसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र और गुट-निरपेक्ष देश के रूप में अफगानिस्तान के दर्जे को सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे।

53. कम्पूचिया के लोगों की मुसीबतों से हमें बहुत दुःख पहुंचा है। कम्पूचिया के लोगों की अपने देश के पुनर्निर्माण, अपनी स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता की रक्षा, और अपने गुट-निरपेक्ष दर्जे को सुरक्षित रखने की कोशिशों के प्रति हमारी सहानुभूति और गहरी

रुचि है। हम वहां शांति स्थापित करने की प्रक्रिया में सहायता कर रहे हैं। हमने उन पक्षों को एक साथ लाने में अपना सहयोग दिया है जिन्हें मिल-जुल कर कम्पूचियाई प्रश्न का हल निकालना चाहिए। हम सम्बन्धित पक्षों के सहयोग से अपनी कोशिशें जारी रखेंगे।

54. हमें अपने स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों से फिलिस्तीनी लोगों के पक्ष के प्रति गहरी सहानुभूति रही है। भारत का विभाजन और फिलिस्तीन का विभाजन एक ही वर्ष में हुआ। हमने फिलिस्तीनी लोगों के दुःख तकलीफों और घोर मुसीबतों में हमेशा उनका साथ दिया है। हम अधिकृत क्षेत्रों में इस्रायली सेना द्वारा फिलिस्तीनियों के क्रूर दमन की कड़ी निंदा करते हैं, फिलिस्तीनी जनता के अभेद्य अधिकारों की अवहेलना करते हुए कोई हल नहीं निकल सकता। उनकी जन्मभूमि में उनका अपना राज्य होना चाहिए। स्थायी हल तलाश करने के लिए तुरन्त एक अन्तर्राष्ट्रीय शांति-सम्मेलन बुलाया जाए, जिसमें फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन और अन्य सम्बन्धित पक्ष भी शामिल हों।

55. ईरान-इराक युद्ध बड़े दुःख का विषय है। इसके कारण हमारे पड़ोस में हालात अस्थिर होते जा रहे हैं और इस क्षेत्र में बाहरी सैन्य शक्तियों का जमाव बढ़ रहा है। हम अन्य सभी के साथ मिलकर शांति लाने के अरसक प्रयत्न बराबर जारी रखेंगे।

56. रंग-भेद सभ्यता पर एक कलंक है जो मानव परिवार की एकता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के विपरीत है। दक्षिण अफ्रीका में सत्य के साथ महात्मा गांधी के प्रारम्भिक प्रयोगों के दिनों से ही जातीय रंग-भेद को समाप्त करना हमारे स्वतंत्रता-संग्राम का अभिन्न अंग रहा है और यह अभी भी हमारी विदेश निति का लक्ष्य बना हुआ है जो अभी पूरा नहीं हुआ है। रंग-भेद इसी वजह से जिंदा है क्योंकि प्रिटोरिया सरकार को कुछ समृद्ध शक्ति-शाली देशों से आर्थिक तथा सैनिक मदद मिल रही है। बहुत अधिक रक्तपात के बिना इस अत्यंत घृणित बुराई को समाप्त करने का एक यही तरीका है कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र के अध्याय VII के अधीन व्यापक, अनिवार्य प्रतिबंध लगाए जाएं। हमने संयुक्त राष्ट्र, गुट-निरपेक्ष और राष्ट्रमंडल के मंचों से इसके लिए प्रयास किए हैं। पिछले अक्तूबर में वेंकूवर शिखर सम्मेलन में केवल एक देश को छोड़कर राष्ट्रमंडल के सभी देश रंग-भेद के खिलाफ अपने प्रतिबंधों में तीव्रता लाने के लिए सहमत हुए। अफ्रीका कोष के प्रति, जिसकी संकल्पना हमने एक व्यावहारिक समर्थन के रूप में की, विश्वभर में सभी देशों ने संतोषजनक प्रतिक्रिया दिखाई है।

57. फिजी में केवल जातीय आधार पर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिशों से बहुत रोष पैदा हुआ है। फीजी की सवैधानिक व्यवस्थाओं में इस बात की यकीनी व्यवस्था होनी चाहिए कि पार्लियामेंट में सभी समुदायों को उचित और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व मिले।

58. हम उस समझौते का स्वागत करते हैं जिस पर ग्वाटेमाला में पांच मध्य-अमरीकी देशों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। हम गंभीरता-पूर्वक आशा करते हैं कि इससे ऐसी न्यायोचित और स्थायी व्यवस्था कायम होगी जिससे उस क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा, प्रभुसत्ता और स्वाधीनता बनी रहे।

59. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ हमारे आपसी सम्बन्धों में, खासतौर पर तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। प्रधान मंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति के साथ अनेक विषयों पर बातचीत की। पाकिस्तान की परमाणु क्षमता प्राप्त करने की लगातार कोशिशों के बावजूद उसे हथियार सप्लाई किए जाने पर हम संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपनी गम्भीर चिन्ता बराबर व्यक्त कर रहे हैं।

60. सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध हमेशा ही स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। नवम्बर 1986 के दिल्ली घोषणा-पत्र में अहिंसा और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रति दोनों देशों की समान प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। पिछले तीन सालों में हमारे सबंधों में विस्तार हुआ है और हमारे सबंध समृद्ध हुए हैं। उच्च स्तरीय यात्राओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, व्यापार में अद्भुत बढ़ोत्तरी हुई है, विज्ञान और टेक्नालॉजी जैसे क्षेत्रों में नए आयाम जुड़े हैं जिससे हमारे पहले से ही आ रहे व्यापक सहयोग में आगे विस्तार हुआ है। दोनों देशों में आयोजित महोत्सवों में हमारे आपसी सद्भाव का सुन्दर दिग्दर्शन हुआ है। वर्ष के दौरान, भारत के प्रधान मंत्री सोवियत संघ गए और सोवियत संघ के प्रधान मंत्री भारत आए।

61. माननीय सदस्यगण, राष्ट्र के संयुक्त प्रयास से हम विश्वास-पूर्वक उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन कार्यों को पूरा कर सकते हैं जो हमारे सामने हैं। हम अपने गणतंत्र के आदर्शों और लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान रहेंगे। हम राष्ट्रीय हित को किसी भी वर्गगत हित से ऊपर रखेंगे। आने वाले वर्ष में अ।पके प्रयासों की सफलता के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनायें देता हूं।

जय हिन्द।

— —

निधन संबंधी उल्लेख
और खान अब्दुल गफ्फार खां के निधन पर संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आज जब हम दो महीने से अधिक के अंतराल के पश्चात् पुन: इकट्ठे हुए हैं, तो सदन को खान अब्दुल गफ्फार खां, तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री एम० जी० रामचन्द्रन, दो वर्तमान सदस्यों और ग्यारह भूतपूर्व साथियों, चौधरी रहीम खां, सर्वश्री ए० जी० सब्बुरमन, डेविड मुंजनी, सूफी मोहम्मद अकबर, पी० राममूर्ति, सोनूभाऊ बासवंत, एस० एम० बनर्जी, हरगोविन्द वर्मा, श्यामाप्रसन्न भट्टाचार्य, रामावतार शास्त्री, सी० डी० पांडे; उपेन्द्र नाथ बर्मन; और कर्पूरी ठाकुर के देहान्त की सूचना देते हुए मैं बड़े दुख के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं।

खान अब्दुल गफ्फार खां का जिन्हें उनके लाखों पठान साथी प्यार से बादशाह खां या बाचा खां कहते थे, 20 जनवरी, 1988 को पेशावर (पाकिस्तान) में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्वतन्त्रता आन्दोलन में महात्मा गांधी के इस एक निकट सहयोगी को हमारे अपने देशवासी ठीक ही सीमांत गांधी के नाम से पुकारते थे।

जो लोकप्रियता उन्हें मिली और जनता के ऊपर जितना प्रभाव और अधिकार उनका था वह ऐसे बहुत कम लोगों को प्राप्त हुआ है जिन्होंने उनकी भांति अपने आप को लोक प्रसिद्धि से दूर रखा।

उनके समय के अनेक लोगों की भांति वह मौलाना जफर अली खां और मौलाना अबुल कलाम आजाद की लेखनियों के जादू से प्रभावित हुए और स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने का निश्चय किया। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रौलेट बिल के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया, तो खान अब्दुल गफ्फार खां ने इसमें सक्रिय भाग लिया और इन्हें छः महीने तक जेल में बन्द कर दिया गया।

वर्ष 1921 में उन्होंने अपने पैतृक ग्राम उतमंजई मे एक राष्ट्रीय विद्यालय खोला। ब्रिटिश सरकार ने उनके द्वारा अधिक संख्या में विद्यालय खोलने के प्रयास को तोड़-फोड़ की कार्यवाही समझा और उन्हें तीन वर्ष के लिए जेल भेज दिया। वर्ष 1924 में उन्होंने स्थापित किये गये स्कूल के माध्यम से समाज सुधार का कार्य आरम्भ किया। इस स्कूल से बहुत से अच्छे लोग निकले जिन्होंने बाद में प्रख्यात खुदाई खिदमतगार अथवा लाल कुर्ती सेना का गठन किया जिनकी गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत में गहरी आस्था थी।

वर्ष 1946 में वह अविभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्य चुने गये और देश के विभाजन के पश्चात् उनकी सदस्यता पाकिस्तान की संविधान सभा को अंतरित कर दी गई। उन्हें भारत के विभाजन से बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने पाकिस्तान की संविधान सभा में एक भाषण दिया जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें देशद्रोह के आरोप में तीन वर्ष की सजा दी गई।

शांति और अहिंसा के दूत और स्वतन्त्रता तथा न्याय के पक्षधर खान अब्दुल गफ्फार खां अपनी वृद्धावस्था में भी अपनी जनता के जायज अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। 27 वर्षों तक गांधी जी के निकट सहयोगी रहने के कारण वह हमारे देश के लाखों व्यक्तियों के प्रियजन रहे। उन्होंने गांधीजी के आदर्शों को अपनाया और अपने दीर्घ जीवन-काल के दौरान वह साधारण जीवन व्यतीत करते रहे। अपने साधारण जीवन और धर्मपरायण कार्यों से वह जीवन के सभी पहलुओं में मानवता के प्रतीक रहे। भगवान के सच्चे सेवक होने के नाते, उन्होंने किसी भी तरह की अस्पृश्यता की प्रथा का विरोध किया और महिलाओं का उद्धार करने तथा सभी धर्मों के प्रति समान आदर व्यक्त किए जाने सम्बन्धी अभियान चलाया।

1.00 म० प०

उनकी पत्रकारिता में भी काफी अभिरूचि थी। वर्ष 1928 में उन्होंने "पख्तून" नामक एक मासिक पत्रिका आरम्भ की, जो खुदाई खिदमतगारों—अहिंसक और गैर-राजनीतिक आन्दोलन—की आवाज बुलन्द करती रही। फिर वर्ष 1938 में, उन्होंने "दस रोजा" आरम्भ की और यह 1945 तक चलती रही और तब यह पूरी तरह बन्द कर दी गई। पत्रिकारिता के माध्यम से उन्होंने लोगों में स्वतन्त्रता के आदर्श उत्प्रेरित किये।

हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन के असाधारण गुणों वाले व्यक्ति, खान अब्दुल गफ्फार खां ने अपने सिद्धांतों के लिए अपने बहुमूल्य जीवन के लगभग 36 वर्ष विभिन्न जेलों में बिताये। भारत के

विभाजन से पूर्व और उसके पश्चात् इस उपमहाद्वीप के विभिन्न कारावासों में अपने जीवन की लम्बी अवधि बिताने के लिए 1962 में उन्हें "एमनेस्टी इंटरनेशनल" ने "प्रिजनर आफ दि इयर" चुना। वर्ष 1969 में उन्हें नेहरू शांति पुरस्कार दिया गया। गत वर्ष उन्हें हमारे देश के सर्वोच्च सम्मान "भारत रत्न" से सम्मानित किया गया।

उनके निधन से भारत ने एक अच्छा मित्र स्वतन्त्रता संग्राम के गिने-चुने लोगों में से एक व्यक्ति और इस विक्षुब्ध विश्व ने भी एक शांति का मसीहा खो दिया है। हम इस महान नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनकी याद हमारे दिलों में हमेशा-हमेशा बनी रहेगी।

श्री एम० जी० रामचन्द्रन का जिन्हें सामान्यत: और प्यार से एम० जी० आर० कहते थे, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के रूप में कार्य करते हुए 14 दिसम्बर, 1987 को मद्रास में 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

श्री एम० जी० रामचन्द्रन एक परिपक्व राजनीतिज्ञ थे। वह 1962 में पहली बार तमिलनाडु विधान परिषद् के लिए चुने गये किन्तु उन्होंने वर्ष 1964 में इसकी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। वर्ष 1967 में वह पुन: तमिलनाडु विधान सभा के लिए चुने गए और अन्त तक उसके सदस्य रहे। वह वर्ष 1977 में राज्य के मुख्य मंत्री बने और एक दशक से अधिक समय तक इस पद को सुशोभित करते रहे।

श्री एम० जी० रामचन्द्रन एक योग्य प्रशासक थे और उन्होंने राज्य के प्रशासन में दूरगामी सुधार किये। उन्होंने राजस्व बोर्ड और ग्राम अधिकारी व्यवस्था समाप्त की। उन्होंने गरीब बच्चों और अनाथों को दोपहर का भोजन नि: शुल्क देने की एक व्यापक योजना आरम्भ। की इस योजना को व्यापक अनुमोदन प्राप्त हुआ। उनके मुख्य मंत्री काल में मद्रास शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराने संबंधी तेलुगु-गंगा परियोजना को मूर्त रूप दिया गया। उन्होंने अनेक अन्य कल्याणकारी योजनायें आरम्भ की जिनके फलस्वरूप गरीब ग्रामीण व्यक्तियों और पददलितों के दिलों में उन्होंने अपना स्थान बनाया।

श्री एम० जी० रामचन्द्रन जनता के नेता थे और उन पर इनका बहुत प्रभाव था। एक वयोवृद्ध देशभक्त के रूप में वह सदा देश की एकता और अखंडता के हामी रहे। वह इस उपमहाद्वीप में जातीय समस्या के समाधान के लिए ऐतिहासिक भारत-श्रीलंका समझौते के सह-निर्माता थे। देश के लोगों की सेवा करने के लिए उन्हें मरणोपरांत "भारत रत्न" सम्मान से विभूषित किया गया।

श्री एम० जी० रामचन्द्रन के निधन से राष्ट्र और भी अकिंचन हो गया है। देश ने एक महान राजनेता और देशभक्त खो दिया है और तमिलनाडु राज्य ने पददलितों का एक मसीहा खो दिया है। हम इस महान दिवंगत नेता के प्रति अपनी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

चौधरी रहीम खां वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे, और वह हरियाणा के फरीदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे। इससे पूर्व वह 1967-72, 1972-74 और फिर 1982-84 के दौरान हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे। वह हरियाणा राज्य मंत्री-परिषद् के भी सदस्य रहे और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

वह एक कृषक, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे और वह अनेक सहकारी विपणन समितियों तथा अन्य सामाजिक तथा शिक्षण संस्थाओं के साथ विभिन्न रूपों में सम्बद्ध रहे। उन्होंने भारतीय सेना में सेवा की और द्वितीय विश्वयुद्ध में बर्मा में अमूल्य सेवा प्रदान की जिसके लिए उनको 'वॉर मेडल' दिया गया।

चौधरी रहीम खां का 18 दिसम्बर, 1987 को नई दिल्ली में 65 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

श्री ए० जी० सुब्बुरामन वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे और वह तमिलनाडु के मदुरै निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर आये थे। इससे पूर्व वह सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

वह एक व्यापारी होने के साथ-साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया।

उन्होंने अपने पैतृक राज्य में हथकरघे और विद्युत करघे के विकास में विशेष रुचि ली।

उन्होंने खेलकूद संबंधी कार्यकलापों में गहरी रुचि ली और वह 1983 से तमिलनाडु के फुटबाल फैडरेशन के प्रेजीडेंट रहे।

श्री सुब्बुरामन का 7 फरवरी, 1988 को नई दिल्ली में 58 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

श्री डेविड मुंजनी 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य थे और वह बिहार में लोहारडगा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे।

श्री मुंजनी एक राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने पद दलितों के कल्याण के लिए कार्य किया। वह अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ सम्बद्ध रहे और उन्होंने औद्योगिक श्रमिकों के हितों का समर्थन किया। उन्होंने देश-विदेश का काफी भ्रमण किया था और उन्होंने 1950 में मौनट्रैक्स में कोक्स में सम्पन्न वर्ल्ड कान्फ्रेन्स आफ मोरल रि-आर्मामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

श्री डेविड मुंजनी का 3 दिसम्बर, 1987 को दिल्ली में 63 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

श्री सूफी मोहम्मद अकबर जम्मू-कश्मीर राज्य से 1952-57 के दौरान प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पूर्व वह 1941 से 1946 तक जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा के सदस्य रहे।

एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्री सूफी मोहम्मद अकबर ने सहकारिता आन्दोलन के प्रसार में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

श्री सूफी मोहम्मद अकबर का 14 दिसम्बर, 1987 को सोपोर में 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

श्री पी० राममूर्ति 1967-70 के दौरान चौथी लोक सभा के सदस्य थे। वह तत्कालीन मद्रास राज्य के मदुरै निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। वह 1960 तथा 1977 से आरम्भ होने वाली अवधियों के लिए दो बार राज्य सभा के सदस्य रहे। इसके पूर्व वह 1952-57 के दौरान मद्रास विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री पी० राममूर्ति एक परिपक्व संसदविद् थे। संसद में होने वाले वाद-विवादों, विशेष रूप से श्रमिक वर्ग के कल्याण सम्बन्धी विषयों पर होने वाले वाद-विवाद में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। उनका भाषण सदा आदर से सुना जाता था। वह 1953-57 के दौरान मद्रास विधान सभा में विपक्ष के नेता रहे।

श्री पी० राममूर्ति एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थे। वह उस समय स्वतन्त्रता संघर्ष में कूद पड़े जब वह केवल विद्यार्थी थे तथा अनेक वर्षों तक वह जेल में रहे।

वह एक विख्यात श्रमिक नेता, राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने तत्कालीन मद्रास राज्य में औद्योगिक श्रमिकों का संगठन किया तथा श्रमिक आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। वह दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा से कई वर्षों तक सम्बद्ध रहे।

श्री पी० राममूर्ति का 15 दिसम्बर, 1987 को मद्रास में 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

श्री सोनुभाई बासवन्त 1967-70 के दौरान महाराष्ट्र के भिवंडी निर्वाचन क्षेत्र से चौथी लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। इससे पूर्व वह 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री बासवन्त एक कृषक थे। उन्होंने श्रमिक संगठनों की गतिविधियों में भी सक्रिय भाग लिया तथा श्रमिक सगठनों मे उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा। वह एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने कृषि एव सहकारिता के विकास के लिये काय किया।

श्री बासवत का 16 दिसम्बर, 1987 को बम्बई में 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

श्री एस० एम० बनर्जी 1971-77 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे। वह उत्तर प्रदेश के कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। इससे पूर्व वह 1957-62, 1962-67 तथा 1967-70 के दौरान दूसरी, तीसरी और चौथी लोकसभा के सदस्य रहे।

श्री एस० एम० बनर्जी एक सक्रिय श्रमिक सघ नेता तथा प्रतिभाशाली ससदविद् थे। सदन की कार्यवाही में उनकी गहन रुचि थी। सदन में होने वाले वाद विवादों, विशेष रूप से श्रमिक वर्ग से सम्बन्धित वाद विवाद मे उनका मूल्यवान योगदान रहा। सदन के भीतर और सदन से बाहर श्रमिक वर्ग की समस्याओं को उठाने में उन्होंने कोई अवसर हाथ से जाने नही दिया। श्रमिक आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय भाग लिया तथा वह अनेक श्रमिक सगठनों से विभिन्न रूपों में जुड़े रहे।

श्री बनर्जी ने देश विदेश की अनेक यात्राएं कीं। उनकी शास्त्रीय संगीत, ललित कला तथा खेल-कूद में गहन रुचि थी।

श्री बनर्जी का 25 दिसम्बर, 1987 को नई दिल्ली में 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

श्री हरगोविंद वर्मा 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य थे। वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। बाद में 1980 मे वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गए।

श्री हरगोविंद वर्मा एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता थे। श्री वर्मा ने ग्रामों के विकास के लिए कार्य किया। उन्होंने अनेक शैक्षिक तथा सामाजिक सगठनो में अनेक पदों पर काय किया।

श्री वर्मा का 15 जनवरी, 1988 को सीतापुर में बहुत दुःखद परिस्थितियों में 51 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

श्री श्यामा प्रसन्न भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया निर्वाचन क्षेत्र से 1971-77 और 1977-79 के दौरान पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इससे पहले वह 1957-62 के दौरान पश्चिम बंगाल की विधान सभा के सदस्य रहे।

एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्त्ता के रूप में उनका पश्चिम बंगाल के क्रान्तिकारी दल श्री संघ से सम्बन्ध रहा।

कृषकों के उत्थान में उनकी बहुत रुचि थी और उन्होंने बहुत से कृषक संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

श्री भट्टाचार्य का 16 जनवरी, 1988 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के अंदुल स्थान पर 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ!

श्री रामावतार शास्त्री 1980-84 के दौरान बिहार के पटना निर्वाचन क्षेत्र से सातवीं लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इससे पहले वह क्रमशः 1967-70 और 1971-76 के दौरान चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

विख्यात स्वतन्त्रता सेनानी, श्री रामावतार शास्त्री स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण अनेक वर्षों तक जेल में रहे। उन्होंने पददलितों के उत्थान के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में काम किया। एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता और श्रमिक संघी के रूप में उन्होंने बहुत से श्रमिक संघ संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

वह व्यवसाय से पत्रकार थे। उन्होंने सामाजिक-राजनीतिक विषयों पर अनेक लेख लिखे। उन्होंने देश-विदेश की अनेक यात्राएं की और वह अनेक वर्षों तक भारत-जर्मनी मैत्री संघ की कार्यकारी समिति में रहे।

एक सक्रिय संसद सदस्य के रूप में उन्होंने सदन की कार्यवाही में बहुत रुचि ली और वाद-विवाद में बहुमूल्य योगदान दिया। 1969-70 के दौरान वह प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। वह संसद की अनेकों संयुक्त और प्रवर समितियों के भी सदस्य रहे।

श्री रामावतार शास्त्री का 26 जनवरी, 1688 को पटना में 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

श्री सी० डी० पांडे 1952-62 के दौरान उत्तर प्रदेश के नैनीताल निर्वाचन क्षेत्र से पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पहले वह 1950-52 के दौरान अन्तरिम संसद के सदस्य रहे।

एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्त्ता, श्री पांडे ने शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना में बहुत रुचि ली और उनमें उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। 1937-39 के दौरान वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री पंडित गोविन्द बल्लभ पंत के निजी सचिव रहे।

श्री सी० डी० पांडे का 25 जनवरी, 1988 को नई दिल्ली में 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन 1952-62 के दौरान पश्चिम बंगाल के कूच बिहार निर्वाचन क्षेत्र से पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य थे। इससे पूर्व वह 1947-50 और 1950-52 के दौरान क्रमशः संविधान सभा और अंतरिम संसद के सदस्य रहे। 1936-45 के दौरान वह पश्चिम बंगाल की विधान सभा के सदस्य भी रहे।

वह व्यवसाय से वकील थे। श्री बर्मन अनेकों संस्थाओं से सम्बद्ध रहे और उनमें उन्होंने अनेक पदों पर कार्य किया। वह एक योग्य संसद सदस्य थे और उन्होंने लोक लेखा समिति और याचिका समिति में सभापति के रूप में कार्य किया। वह लोक सभा में सभापति तालिका में भी रहे। 1941-43 के दौरान वह तत्कालीन बंगाल की सरकार में केबिनेट मंत्री रहे।

उन्होंने देश-विदेश का व्यापक भ्रमण किया और वह अक्तूबर 1948 में लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल सम्मेलन के लिए भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य थे। उन्होंने 1950 में रंगून में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व भी किया।

श्री बर्मन का 7 फरवरी, 1988 को जलपाईगुडी में 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

श्री कर्पूरी ठाकुर 1977 में बिहार के समस्तीपुर निर्वाचन क्षेत्र से छठी लोक सभा के लिए चुने गये थे और 24 दिसम्बर 1977 तक के थोड़े समय के लिए ही इसके सदस्य रहे क्योंकि बिहार राज्य में मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। इससे पहले वे 1952 से राज्य विधान सभा के सदस्य रहे और अपने गृह राज्य में एक मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने 1967 में उप-मुख्यमंत्री और शिक्षा एवं वित्त मंत्री के रूप में तथा 1970-71 में मुख्यमन्त्री के रूप में अपने राज्य की सेवा की। अपनी मृत्यु के समय वे बिहार विधान सभा के वर्तमान सदस्य थे।

एक विख्यात स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में उन्होंने 1942 में "भारत छोड़ो आन्दोलन" में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें काफी लम्बे समय के लिए जेल भेज दिया गया। अपने सम्पूर्ण राजनैतिक जीवन के दौरान एक समर्पित समाज सेवी के रूप में वह भ्रष्टाचार और गरीबों के शोषण के खिलाफ निरन्तर लड़ते रहे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के हितों का समर्थन किया उन्होंने भूदान, ग्रामदान और सर्वोदय आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने खादी और ग्रामउद्योग विकास में भी गहन रुचि दिखाई।

एक सक्रिय श्रमिक संघ नेता के रूप में उन्होंने अनेक वर्षों तक विभिन्न श्रमिक संघों के प्रधान के रूप में काम किया। वह एक शिक्षाविद् थे और अनेकों शिक्षा संस्थाओं के संस्थापक थे और उनमें विभिन्न रूपों में कार्य किया। उन्होंने देश-विदेश की अनेक बार यात्राएं कीं और वह वियना में हुए इन्टरनेशनल यूनियन आफ सोशलिस्ट यूथ कान्वेशन में भारत के प्रतिनिधि थे और युगोस्लाविया गए प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य भी थे। श्री कर्पूरी ठाकुर की संगीत, विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत में विशेष रुचि थी।

श्री ठाकुर का पटना में 17 फरवरी 1988 को 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उनके निधन से उत्पन्न हुई रिक्त को भर पाना बड़ा कठिन होगा। यदि सभा की अनुमति हो, तो मैं एक विशेष संकल्प प्रस्तुत करूं ?

अब मैं सभा के सम्मुख निम्नलिखित संकल्प रखता हूं, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाये :—

"लोक सभा सीमान्त गांधी अथवा "बादशाह खां" के नाम से विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खां के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करती है। महात्मा गांधी के निकट सहयोगी, खान अब्दुल गफ्फार खां विदेशी दासता से देश को मुक्ति दिलाने के लिए लड़ने वालों में से एक महान विभूति थे। उनका महात्मा गांधी की भांति सत्य और अहिंसा में अडिग विश्वास था। भगवान के सच्चे सेवक, खान अब्दुल गफ्फार खां ने "खुदाई खिदमतगार" के नाम से एक अनूठा आन्दोलन शुरू किया। एक पक्के देश-भक्त होने के नाते उन्हें देश बंटवारे के विचार मात्र से ही घृणा थी। उनके निधन से हमने अपने स्वतन्त्रता संघर्ष की एक महानतम विभूति और संघर्षरत विश्व में एक "शांति-दूत" खो दिया है। वे सबसे बढ़कर वास्तव में एक पावन आत्मा थे और उनका नाम हमारे इतिहास की सदैव शोभा बढ़ाता रहेगा। पृथ्वी पर उनके जैसे व्यक्ति विरले ही होते हैं।

यह सभा खान वली खां और उनके परिवार के अन्य सदस्यों तथा भारतीय उपमहाद्वीप में उनके करोड़ों प्रशंसकों और अनुयायियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है।"

मैं समझता हूं कि सभा को यह संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकार्य है।

अब सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहें!

[तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब 23 फरवरी, 1988 को 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होगी!

11.5 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 23 फरवरी 1988/ 4 फाल्गुन 1909 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई!

सनलाइट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6 फोन : 233363